न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/321 दिनांक 30/01/2023

प्रार्थीगण :-

1.जेताराम 2.दमाराम पि.लूंभाराम
3.राजों पत्नि लूंभाराम,
जातियान जाट,
निवासी विरड़ासर (तारातरा),
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.सगतसिंह पुत्र मूलसिंह 2.रेवतसिंह 3.जवरसिंह पि.भीमसिंह 4.महेन्द्रसिंह पुत्र धनसिंह, निवासी सणाऊ 5.कुम्पसिंह पुत्र मूलसिंह, जातियान राजपूत, निवासी दूधवा 6.देवाराम पुत्र जगमालराम, जाति जाट, निवासी लीलसर 7.अमरसिंह 8.नखतसिंह 9.हाकमसिंह 10.मेहताबसिंह 11.छूगसिंह 12.वालसिंह पि.भीमसिंह 13.नीम्बसिंह पुत्र बींजराजसिंह 14.जीवराज 15.दीपसिंह 16.अमरसिंह पि.रावतसिंह 17.रेवंतसिंह पुत्र गेमरसिंह 18.गेमरसिंह 19.लूणसिंह 20.पृथ्वीसिंह पि. महतसिंह 21.लीलसिंह पुत्र करणसिंह, जाति राजपूत,
निवासी दूधवा खुर्द, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 86/2019 दिनांक : **30.01.2023**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा डूंगरपुरा के खेत खसरा सं. 300 रकबा 92.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2023/322 to 325 दिनांक 30/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जेताराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सगतसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

(भागी[illegible]II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन